

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
नामकुम, राँची।

फोन नं०- 0651-2261000, 2261856-2261002 मेल आईडी- nrhmjharkhand3@gmail.com

पत्रांक : 1386 (RCH)

दिनांक: 09/05/18

कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य ब्रीज कोर्स पाठ्यक्रम अन्तर्गत कुल 12 प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया गया। चयनित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षणोपरान्त सत्र समाप्ति परीक्षा का आयोजन IGNOU के द्वारा किया गया, जिसका अन्तिम परिणाम अप्राप्त है।


विदित है कि श्री मनोज अगनानी, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-O-11011/01/2014-NRHM II दिनांक 17.04.18 एवं पत्र सं०-O-11011/01/2014-NRHM II (Part) दिनांक 01.03.18 के माध्यम से यह संसूचित किया गया है कि जैसे अभ्यर्थी जो उक्त पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जो सत्र समाप्ति परीक्षा में सम्मिलित हो चुके, उन्हें विनिर्दिष्ट Health & Wellness Centre में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में अन्तिम परिणाम प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रतिनियुक्त किया जाना है। उपरोक्त भारत सरकार से प्राप्त निदेश के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित प्रशिक्षणार्थियों को कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत औपबंधिक रूप से चिन्हित स्वास्थ्य उप केन्द्रों में तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र०	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	पत्राचार का पता	प्रतिनियुक्ति स्थल का नाम
1	अलका रानी तिग्गा	श्री निर्मल जुनस कुजूर	GNM	ग्रा०-जुरा, पो०-जुरा, थाना-भरनो, जिला-गुमला-835324	स्वा०उपकेन्द्र, शिवनाथपुर, सिसई, गुमला
2	बिमला तिकी	श्री मतियस तिकी	GNM	ग्रा०-खरसरी करम टोली, पो०-नवाडीह, थाना-डुमरी, जिला-गुमला-835230	स्वा०उपकेन्द्र, सुकुरहुट्ट, कांके, राँची
3	बबीता कुमारी	श्री सुनील वर्मा	GNM	ग्रा०-शान्तीनगर, पो०-गुमला, थाना-गुमला, जिला-गुमला-835230	स्वा०उपकेन्द्र, हुसीर, कांके, राँची
4	सीफा लकड़ा	श्री अलोक लकड़ा	GNM	ग्रा०-लापूर, पो०-काकरगढ, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा-835214	स्वा०उपकेन्द्र, बोडया, कांके, राँची
5	निलोफर बानो	मो० वकील अन्सारी	GNM	ग्रा०-भुजानियां, पो०-भटखिरी, थाना-लोहदगा, जिला-लोहरदगा-835302	स्वा०उपकेन्द्र, ओयना, कांके, राँची
6	पुनम किस्पोट्टा	श्री झरी किस्पोट्टा	GNM	ग्रा०-भडगांव, पो०-अरू, थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा-835302	स्वा०उपकेन्द्र, ईचापिडी, कांके, राँची
7	शशी साहु	श्री सरोज कुमार	GNM	ग्रा०-कठलमोड, पो०-गुट्टवा, थाना-नगडी, जिला-राँची-835303	स्वा०उपकेन्द्र, नवाटोली, कांके, राँची
8	निर्मला खलखो	श्री लुईस खलखो	GNM	ग्रा०-टंगराटोली नदीडीपा, पो०-कांके, थाना-कांके, जिला-राँची-834006	स्वा०उपकेन्द्र, कोकदोरो, कांके, राँची
9	पिंकी टोप्पो	श्री चेगस टोप्पो	GNM	ग्रा०-न्यू लक्ष्मीनगर हेहल, पो०-हेहल, थाना-सुखदेवनगर, जिला-राँची-834005	स्वा०उपकेन्द्र, कटमकुली, कांके, राँची

क्र०	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	पत्राचार का पता	प्रतिनियुक्त स्थल का नाम
10	निशी कंचन लकडा	श्री तोबियस लकडा	GNM	ग्रा०-कटुकोना, पो०-कोनबेगी, थना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा-835223	स्वा०उपकेन्द्र, लसिया, कोलेबिरा, सिमडेगा
11	पुनम कुमारी	श्री मदन मोहन सिंह	GNM	ग्रा०-गरसिदान, पो०-नरिया, थाना-रनिया, जिला-खुंटी-835227	स्वा०उपकेन्द्र, दुबलिया, कांके, रांची
12	रोज कंचन कुल्लू	श्री पोलीकर्प कुल्लू	GNM	ग्रा०-घोचोटोली, पो०-सिमडेगा, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा, -835223	स्वा०उपकेन्द्र, कैरबेडा, सिमडेगा

उपरोक्त प्रतिनियुक्त सत्र समाप्ति परीक्षाफल के प्रत्याशा में निम्नांकित शर्त आधारित किया जाता है :-


1. सत्र समाप्ति परीक्षाफल से यह प्रतिनियुक्त तदनुसार प्रभावित होगी।
 2. सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों को उनके वर्तमान अनुमान्य मानदेय/वेतन ही भुगतये होगा।
 3. प्रतिनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों का मानदेय भुगतान प्रतिनियुक्त स्थान से प्राप्त वास्तविक उपस्थिति विवरणी के आधार पर उनके मूल पदस्थ स्थान से ही किया जायेगा।
 4. प्रतिनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के निर्धारित दायित्व का निर्वहन करना होगा।
 5. प्रतिनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी चिन्हित Health & Wellness Centre के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे।
 6. परीक्षा परिणाम के फलस्वरूप यदि आवश्यकता पडी तो बिना कारण बताये प्रतिनियुक्त तत्काल प्रभाव से रद्द करने की शक्ति NHM को प्रदत्त रहेगा।
 7. प्रतिनियुक्त प्रशिक्षणार्थी एक सप्ताह के अन्दर अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
 8. किसी प्रकार का प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त प्रतिनियुक्ति आदेश अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड से प्राप्त निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।


(प्रशासी पदाधिकारी)

दिनांक : 09/05/18

ज्ञापांक : 1386 (RCH)
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियान निदेशक को सूचनार्थ एवं निर्गत पत्र को सम्पुष्ट करने की कृपा करेंगे।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाए को सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, ब्रीज कोर्स प्रोग्राम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी पदाधिकारी, Health & Wellness Centre को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
7. सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


(प्रशासी पदाधिकारी)